

प्ररूप-2

[नियम 8 (7)]

उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दौरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है।

मैं.....(नाम) मकान नं० गली..... गांव/शहर.....
जिला..... राज्य.....का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मैं.....
(बालक का नाम) आयु..... का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्याधीन लेने को तैयार हूँ :-

1. कि मैंने स्वयं की, सही प्रामाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूंगा और उसके रख-रखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूंगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जांच दिलवाई जाएगी और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के अध्याधीन नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूंगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूंगा।

.....20....., के..... दिन

वचनबद्धता निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

किशोर न्याय बोर्ड